संख्या-3/2015/ ए-2-3039 /दस-2015-24(15)/95

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव,
वन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

(2) प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

वित्त (लेखा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक : 16 सितम्बर, 2015

विषय:- वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन-वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-7 का परिशिष्ट-4

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-7 के परिशिष्ट-4 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की समीक्षा हेतु गठित कोष्ठक की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय अधिकार उनके समक्ष अंकित अधिकारियों को प्रतिनिहित करते हैं।

2- उक्त प्रतिनिधायन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और कालम-6 में अंकित पूर्व प्राधिकार तदनुसार संशोधित/निरस्त समझे जायेंगे।

3- वित्तीय नियम संग्रह में संशोधन यथासमय किये जाएंगे।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,
राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव, वित्त।

पृ0संख्या-3/2015/ए-2-3039(1)/दस-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार/लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार/लेखा एवं हकदारी, द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय , उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- निदेशक कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वन अनुभाग-4

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-3/2015/ ए-2-3039/दस-2015-24(15)/95 दिनांक 16 सितम्बर, 2015 का अनुलग्नक

वन विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कतिपय वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन को प्रदर्शित करने वाली सूची-

मद सं.	अधिकार की प्रकृति	किसके द्वारा व्यवहरित	प्रतिनिधायन की सीमा	विशेष शर्त, यदि कोई हो	पूर्व प्राधिकार का संदर्भ
1	2	3	4	5	6
1-	विशेष परिस्थितियों में स्थायी अधिष्ठान के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन के अग्रिमों को स्वीकृत करना ।	वन संरक्षक तथा प्रभागीय वनाधिकारी	वन लेखा नियम के पैरा 151व 152 के अनुसार		शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
2-	तौग्यां कृषकों को नकद अग्रिम को स्वीकृत करना ।	वन संरक्षक	प्रत्येक तौग्यां क्षेत्र में 500/-रू0 की सीमा तक।		शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
3-	पूर्वी वृत्त के वन गांवों के आसामियों को कृषि कार्य हेतु अग्रिमों को स्वीकृत करना ।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।			शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
		पुस्तकें तथा पाक्षिक			
4-	अपने तथा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिये किताबें, समाचार-पत्र, पाक्षिक, नक्शे तथा अन्य प्रकाशनों का क्रय करना।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 के विवरण पत्र-1 के अनुसार			शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
5-	अपने तथा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोगार्थ सीधे राजकीय मुद्रणालय से संदर्भ पुस्तकें व शुद्ध पर्चियों का प्राप्त करना ।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है ।			शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
6-	राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवासिक भवनों और डाक बंगलों को छोड़कर) भवनों का (जिला राजस्व प्राधिकारियों के	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 के विवरण पत्र-16 के अनुसार			शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	माध्यम से) विक्रय अथवा विध्वंस स्वीकृत करना ।				
7-	अनावासिक सरकारी भवनों, जिनकी सरकारी प्रयोग हेतु आवश्यकता नहीं है, को पट्टे पर देना ।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 के विवरण पत्र-16 के अनुसार			शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
8-	भण्डार (स्टोर्स), वस्तुएं (मैटीरियल्स), औजार और संयत्र इत्यादि के संग्रह करने के निमित्त किराये पर लिये गये गोदामों का किराया स्वीकृत करना ।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1के विवरण पत्र-3 के अनुसार			शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
		<u>पूंजीगत व्यय</u>			
9-	निम्नांकित के लिये पूंजीगत व्यय स्वीकृत करना -				
	(क) हाथियों के क्रय हेतु (प्रत्येक)	प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव	पूर्ण अधिकार।	हाथियों के लिये अनुरक्षित रखे जाने हेतु स्वीकृत अधिष्ठान में बिना शासन की स्वीकृति के वृद्वि न की जाय।	शासनादेश संख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
	(ख) अन्य मदें -				
	(1)भण्डारों का क्रय	1-मुख्य वन संरक्षक	पूर्ण अधिकार, स्टोर्स परचेज रूल्स के नियम-7 में दी गयी सीमाओं और शर्तो के अधीन।		
	(2) औजारों तथा संयंत्रों का क्रय	1-मुख्य वन संरक्षक	पूर्ण अधिकार।	वन संरक्षक/ उप वन संरक्षक द्वारा औजारों तथा संयंत्रों का क्रय एक वर्ष में प्रतिनिहित सीमा से अधिक न किया जाये। इसमें इलेक्ट्रानिक उपकरण भी	
		2-वन संरक्षक	रू0 5.00 लाख की सीमा तक।		
		3-उप वन संरक्षक /प्रभागीय वनाधिकारी	रू0 1.00 लाख की सीमा तक।		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

				सम्मिलित माने जायेगें।	
	(3)कार्यालय फर्नीचर/ फिक्सचर्स का क्रय	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 के विवरण पत्र-20 के अनुसार		फर्नीचर के क्रय विषयक अधिकार का प्रयोग आवासीय भवनों के लिये फर्नीचर के क्रय में न किया जाय।	
	(4) नयी साज-सज्जा का क्रय	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1के विवरण पत्र-20 के अनुसार			
	(5) निर्धारित माप (स्केल) के अनुसार तम्बुओं का क्रय	1-वन संरक्षक	पूर्ण अधिकार।		
		2-उप वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी	रू050,000/ की सीमा तक।	तम्बुओं के बारे में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार।	

<u>संविदाएं तथा निविदाएं</u>

10-	वनों के प्रशासन एवं विभाग के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में संविदाओं, प्रतिभूति, अनुबन्ध-पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करना।	1-मुख्य वन संरक्षक 2-वनसंरक्षक 3-उप वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी	न्याय विभाग की अद्यतन विज्ञप्ति के अनुसार	--	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
11-	सरकारी कार्य के निष्पादन हेतु निविदायें स्वीकार करना।	1-प्रमुख वन संरक्षक	पूर्ण अधिकार।	सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिये।	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
		2-मुख्य वन सरंक्षक	रू0 1.50 करोड़ की सीमा तक।		
		3-वन संरक्षक	रू0 1.00 करोड़ की सीमा तक।		
		4-उप वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी	रू0 40.00 लाख की सीमा तक।		
		5- सहायक वन संरक्षक	रू0 2.00 लाख की सीमा तक।		
12-	(क)स्थायी अधिष्ठान एवं पदों को स्थानान्तरण करना।	प्रमुख वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक तथा वन संरक्षक	वन नियम संग्रह के अनुसार	--	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
	(ख)प्रभागों में अधीनस्थ वन सेवा तथा लिपिक	--तदैव--	--तदैव--	--	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वर्गीय अधिष्ठान हेतु स्वीकृत वेतन की सम्पूर्ण धनराशि का वितरण करना।				
13-	वन विभाग का अस्थायी अधिष्ठान	प्रमुख वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक तथा वन संरक्षक	वन नियम संग्रह (सातवां संस्करण) के पैरा 47-49 के अनुसार।	--	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
			सामान्य अधिकार		
14-	फारेस्ट सर्वे आफ इण्डिया/सर्वे आफ इण्डिया से वनों के नक्शों के तैयार करने/मुद्रण कराने के सम्बन्ध में व्यय स्वीकृत करना।	1-प्रमुख वन संरक्षक 2-मुख्य वन सरंक्षक 3-वन संरक्षक	पूर्ण अधिकार। रू0 5.00 लाख की सीमा तक। रू0 02.00 लाख की सीमा तक।	--	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
15-	विभाग के लिये सामान्य प्रकार के प्रासंगिक व्यय, जिसके लिये अन्यत्र कोई विशिष्ट प्रतिनिधायन नहीं किया गया हो, स्वीकृत करना ।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 के विवरण पत्र-8 के अनुसार		--	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
			वन उपजों का प्रदान करना		
16-	(क)बिना मूल्य के अथवा उचित मूल्य पर वन-उपजों को प्रदान किये जाने की स्वीकृति देना।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।			शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
	(ख)पर्वतीय क्षेत्रों के लिये बिना मूल्य के अथवा उचित मूल्य पर वन उपज के प्रदान किये जाने की स्वीकृति देना।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।			
			गर्मी से सम्बन्धित व्यय		
17-	गर्मी से निदान के लिये अधिष्ठान व सज्जीकरण से सम्बन्धित व्यय की स्वीकृति देना ।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के परिशिष्ट-10 के अनुसार			शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवकाश वेतन

18-	अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन लिपिक वर्ग से संबंधित सरकारी सेवकों तथा दूसरी अधीनस्थ सेवाओं द्वारा अनियमित रूप से आहरित स्थानापन्न व प्रोन्नत वेतन तथा अत्याहरित अवकाश वेतन की वसूली को त्यागने का अधिकार ।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।		शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997

दवाएं

19-	वन कार्यालयों के लिये निर्धारित दवाइयों का क्रय करना ।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।		शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997

अधिवक्ता शुल्क

20-	अपराधिक अपराधों में अभियोजन हेतु अधिवक्ता फीस पर हुए व्यय की स्वीकृति देना ।	1-प्रमुख वन संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक	प्रत्येक मामले में रू0 50.00 हजार तक ।	निम्नांकित शर्तों के अधीन:- **1-** अभियोजन के सम्बन्ध में गृह विभाग की वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (ए0पी0ओ0) की व्यवस्था अपनायी जाय। **2-**स्पेशल काउंसिल की सेवायें विशेष मामलों में ही ली जाये। **3-**गम्भीर अथवा असामान्य आपराधिक मामले उच्चतर
		2- वन सरंक्षक	प्रत्येक मामले में रू0 25.00 हजार तक।	
		3-उप वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी	प्रत्येक मामले में रू0 10.00 हजार तक ।	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अधिकारी के संज्ञान में लाये जाय।	
		प्रयोजनाएं	
21-	(क)संचार तथा गैर आवासीय भवनों से सम्बन्धित मूल निर्माण कार्यो की प्रयोजनाओं का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करना ।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 के विवरण पत्र- 17 के अनुसार	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
	(ख)वर्तमान आवासिक भवनों में सुधार के लिये अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना ।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 के विवरण पत्र- 17 के अनुसार	
		वापसी	
22-	राजस्व की वापसी की स्वीकृति देना।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
23-	गारण्टी प्रणाली के अधीन क्रेताओं के दावा योग्य विशेष वापसी की स्वीकृति देना।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
		छूटें	
24-	किसी संविदा जिसे सम्पादित करने अथवा कतिपय परिस्थितियों में छूट प्रदान करने के लिये प्राधिकृत हैं, के अधीन देय विक्रय मूल्य को निरस्त अथवा कम करना।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
		भवनों तथा भूमि का किराया	
25-	अनावासिक प्रयोजनों (गोदामों को छोड़कर) के लिये किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करना।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 के विवरण पत्र- 3 के अनुसार	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26-	निम्नांकित के लिये किराये पर लिये गये स्थानों के किराये की अदायगी की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार :- (1) वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों जो हल्के वर्गों तथा अन्य प्रभारीय रूप में तैनात हैं और जिनके लिये कोई चौकियां या अन्य आवास अभी तक निर्मित नहीं किये गये हैं, और (2) वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों जिन्हें अस्थायी रूप से वनों में तैनाती के स्थान से आमतौर से बरसात के समय सरकारी कार्य के हित में प्रभागों या वृत्तों के मुख्यालयों में बुलाया जाता है। (3)उत्तर प्रदेश वन सेवा संवर्ग के प्रवर अधीनस्थ सेवा के सदस्य।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
27-	निम्नांकित प्रयोजनों हेतु अस्थायी पट्टे या उनके नवीनीकरण की स्वीकृति देना- (क) जल की नालियों, पाइप लाइन्स, प्याऊ (जल स्थलों) तथा मिलों के पट्टे (ख) स्थानीय वन विभाग के कर्मचारियों, कारीगरों, पर्यटकों के लाभ हेतु दुकानों को	वन संरक्षक	वशर्ते कि वार्षिक किराया रू0-500/-से अधिक न हो तथा पट्टे व प्रत्येक नवीनीकरण की अवधि 5 वर्ष से अधिक न हो।	शासनादेश संख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	पट्टे पर देना (ग) घरों, धर्मशालाओं, गुफाओं, (आवासी प्रायोजनार्थ) फार्म्स एवं कोड शेड्स के पट्टे				

पारितोषिक

28-	भारतीय वन अधिनियम की धारा-68 के अधीन प्राप्त प्रतिकर में से पारितोषिक भुगतान को प्राधिकृत करने का अधिकार।	अधीनस्थ वनाधिकारी जो कि भारतीय वन अधिनियम की धारा-68 के तहत मामलों को कम्पाउण्ड करने हेतु प्राधिकृत हों।	प्राप्त प्रतिकर का 10 प्रतिशत इस शर्त के अधीन कि इसकी अधिकतम सीमा रू0 5,000/- से अधिक न हो।	इस अधिकार का प्रयोग केवल कम्पाउण्डेबुल ऑफेन्स में हो और गैर-सरकारी आदमी के लिए किया जाये।	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
29-	वन विभाग के किसी अधीनस्थ द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान विशिष्ट प्रकार की, की गई सराहनीय शासकीय सेवा हेतु पारितोषिक दिये जाने की स्वीकृति देना।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।			शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
30-	वन अपराध को रोकने में सराहनीय एवं असाधारण कार्य के लिये (जिसमें जान जोखिम में डाली गई हो) वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी को पारितोषिक दिये जाने की स्वीकृति देना।	1- वन सरंक्षक 2-उप वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी	प्रत्येक मामले में रू0 10,000/- की सीमा तक किन्तु एक व्यक्ति को रू0 2,000/- से अधिक नहीं। प्रत्येक मामले में रू0 5000/- की सीमा तक किन्तु एक व्यक्ति को रू0 1,000/- से अधिक नहीं।	उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा रिफर करने पर।	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
30-ए.	किसी सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति, जिसने आग बुझाई हो अथवा अग्निशमन में महत्वपूर्ण सहायता की हो, को	1- वन सरंक्षक	प्रत्येक मामले में रू0 10,000/- की सीमा तक किन्तु एक व्यक्ति को रू0 2,000/- से अधिक	उप वन संरक्षक /प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा रिफर करने पर।	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	पारितोषिक की स्वीकृति देना।		नहीं।	
		2-उप वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी	प्रत्येक मामले में रू0 5,000/- की सीमा तक किन्तु एक व्यक्ति को रू0 1,000/- से अधिक नहीं।	
31-	फालतू और निष्प्रयोज्य भण्डार का विक्रय स्वीकृत करना।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1के विवरण पत्र-20 के अनुसार		शासनादेश संख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
32-	कीमती स्टोर व स्टाक की बिक्री की स्वीकृति देना।		उपर्युक्त मद संख्या-31 में प्रतिनिहित व्यवस्था के अधीन।	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
33-	विदेश के निर्माणकर्ताओं अथवा व्यापारियों (डीलरों) से ऐसी वस्तुयें, जो प्रयोगात्मक अथवा शोध प्रयोजनों के लिये अपेक्षित हों, अथवा अन्य वस्तुएं जिनका उल्लेख स्टोर परचेज़ रूल्स के अनुलग्नक (ख) में और नियम-7(2) में किया गया है, सीधे प्राप्त करना।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1के विवरण पत्र-20 के अनुसार		शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997

<u>बट्टे खाते डालना</u>

34-	भण्डार या लोक धन की अवसूलनीय हानियाँ, जिनके अन्तर्गत पूर्णत: नष्ट हुए स्टाम्पों की हानि भी सम्मिलित है, को बट्टे खाते डालना ।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1के विवरण पत्र-22 के अनुसार		शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
35-	राजस्व की हानि (जिनके अन्तर्गत न्यायालयों द्वारा डिक्री की गयी अवसूलनीय	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1के विवरण पत्र-22 के अनुसार		शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	धनराशि भी सम्मिलित है) या अवसूलनीय ऋण या अग्रिम धन को बट्टे खाते डालना ।		07 मई, 1997
36-	कीमती स्टोर्स व सामानों को बट्टे खाते डालना।	उपर्युक्त मद संख्या-34 में प्रतिनिहित व्यवस्था के अधीन	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24 (15) /95 दिनांक 07 मई, 1997
37-	स्टाक में अन्तर्विष्ट स्टोरों के मूल्य में और अन्य लेखाओं में कमियां और ह्रास (मोटर गाड़ियां व मोटर साइकिल के अतिरिक्त) के मामलों को बट्टे खाते डालना।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 के विवरण पत्र-22 के अनुसार	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24 (15) /95 दिनांक 07 मई, 1997
38-	दुर्घटनाओं, जालसाजी, असावधानी या अन्य कारणों से खोये या नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुए भण्डारों एवं अन्य सम्पत्ति के वसूल न हो सकने वाले मूल्य या खोये सरकारी धन की वसूल न हो सकने वाली धनराशियों को बट्टे खाते डालना ।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 के विवरण पत्र-22 के अनुसार	शासनादेश संख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
39-	ऐसे अग्रिमों को बटटे खाते में डालने की स्वीकृति प्रदान करना, जिन्हें स्वीकृत करने का उन्हें अधिकार हो।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।	शासनादेश संख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
40-	ठेकेदारों से देय वसूल न होने योग्य अग्रिम बट्टे खाते डालना ।	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विविध

41-	निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री से पूर्व परामर्श किये बिना निजी मुद्रणालयों से पंजीयत/अपंजीयत प्रपत्रो व अन्य आवश्यक कार्य (जैसे नक्शे, नोटिस आदि) का मुद्रण कराना।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1के विवरण पत्र-2 के अनुसार			शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997

वानिकी कार्य

42-	वृक्षारोपण कार्यो के आगणनों की स्वीकृति प्रदान करना।	प्रमुख वन संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक	पूर्ण अधिकार।	वृक्षारोपण कार्यो में जल एवं मृदा संरक्षण आदि भी शामिल माने जायेंगे।	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997
		2-वन संरक्षक	रू0 50.00 लाख की सीमा तक।		
		3-उप वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी	रू0 15.00 लाख की सीमा तक।		
43-	राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों, प्राणि उद्यानों, वन पार्को/मनोरंजन पार्कों तथा अन्य स्थानों में विभागीय जलपान गृहों/रेस्टोरेण्टों को किराये पर उठाने हेतु टेण्डर स्वीकृत करना।	प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव	पूर्ण अधिकार।	--	शासनादेशसंख्या-ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 07 मई, 1997

नोट:- 1. जिस स्तर के अधिकारी को वित्तीय अधिकार/प्रतिनिधायन की सीमा अनुमोदित की गई है उसके उपलब्ध न होने पर उससे उच्च स्तर के अधिकारी उसे स्वीकृत करने हेतु स्वयमेव सक्षम होंगे।

2- उपरोक्त समस्त व्यय आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि की सीमा तक ही अनुमन्य होगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।